



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 14 जुलाई, 2026 ई0

आषाढ़ 23, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग-3

संख्या- 367 / XVIII(3) / 2026-02(09)2026

देहरादून, 14 जुलाई, 2026

अधिसूचना

जनपद चमोली में गोविन्दघाट-हेमकुण्ड साहिब रोपवे परियोजना हेतु भूमि अर्जन
के संबंध में धारा-11 की अधिसूचना

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली

संख्या— 5924 / आठ-02 (2022-2023)

दिनांक: गोपेश्वर: 09 जून, 2026

प्रारम्भिक अधिसूचना भूमि अर्जन

उत्तराखण्ड राज्य में निर्माणधीन गोविन्दघाट से हेमकुण्ड साहिब तक रोपवे परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है। समुचित सरकार लोक परियोजना हेतु निर्माणधीन उपरोक्त परियोजना हेतु प्रारम्भिक अधिसूचना में जनपद चमोली की तहसील ज्योतिर्मठ के अन्तर्गत ग्राम पाण्डुकेश्वर (गोविन्दघाट), ग्राम पुलना, ग्राम भ्यूंडार की रोपवे परियोजना में आने वाली ग्राम पाण्डुकेश्वर (गोविन्दघाट) की 01.986 हेक्टेयर, ग्राम पुलना की 0.579 हेक्टेयर भूमि एवं ग्राम भ्यूंडार की 0.243 कुल 02.808 हेक्टेयर भूमि तकनीकी सर्वेक्षण के अनुसार अर्जन की जानी है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-30, वर्ष 2013) की धारा-11 में निहित प्राविधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में अर्जित की जाने वाली भूमि का धारा-04 के तहत सामाजिक समाघात अध्ययन श्री गुरु राम राय पी0जी0 कॉलेज देहरादून से सामाजिक समाघात अध्ययन दल के सदस्यों से करवाने के उपरान्त यथा नियम धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण करने पर अधिनियम की धारा-11 (01) के अन्तर्गत भूमि का अर्जन का प्रख्यापन निम्न रीति के अनुसार प्रकाशित की जाती है।

- (क) राजपत्र में।
- (ख) दो स्थानीय भाषा के दैनिक समाचार पत्र में।
- (ग) पंचायत, नगर पालिका तथा जिला कलेक्टर, उप खण्ड मजिस्ट्रेट तथा तहसील के कार्यालय में स्थानीय भाषा में।
- (घ) समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड।
- (ङ) प्रभावित क्षेत्रों में निहित रीति में विशेष बैटक बुलाकर सूचित करना।

लोक प्रयोजन में लिए चमोली जिले में तहसील ज्योतिर्मठ के ग्राम पाण्डुकेश्वर (गोविन्दघाट) की 01.986 हेक्टेयर, ग्राम पुलना की 0.579 हेक्टेयर भूमि एवं ग्राम भ्यूंडार की 0.243 कुल 02.808 हेक्टेयर भूमि उत्तराखण्ड प्रदेश में निर्माणधीन गोविन्दघाट से हेमकुण्ड साहिब तक रोपवे परियोजना निर्माण हेतु अपेक्षित है। जिनका सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (SIA) यूनित द्वारा किया गया है और नियम 04 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित सर्वेदल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारम्भिक जाँच सार इस प्रकार है।

सामाजिक समाघात अध्ययन के सारविन्दु:-

परियोजना प्रभावित परिवारों द्वारा व्यक्ति की गयी आशंकाएँ

समाधात परीक्षण के दौरान प्रभावित ग्रामीणों एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधियों द्वारा कुछ आशंकाएँ व्यक्त की गयी हैं, जो कि निम्नवत हैं। समाधात परीक्षण के दौरान प्रभावित क्षेत्र के लोगों का मानना है कि गोविन्दघाट से हेमकुण्ड साहिब तक रोपवे परियोजना में उनकी भूमि जो कि उनकी आजीविका का मुख्य साधन है, के जाने से इससे उनके जीवनयापन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

1. रोपवे निर्माण कार्य अधिक से अधिक सरकारी भूमि पर बनाया जाना चाहिये। मंदिर अथवा गांव के आसपास निर्माण कार्य न हो।
2. घाघरिया और काजिला को राजस्व ग्राम घोषित किया जाये।
3. लक्ष्मण मंदिर के लिये भूमि दी जाये। हेमकुण्ड में प्राचीन लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के लिये 5 नाली जमीन स्वीकृत कि जाये क्योंकि वर्तमान मंदिर के अंदर तालाब से पानी भरता है।
4. पुलना-भ्यूँडार और घाघरिया में रोपवे स्टेशन होना चाहिये ताकि ग्रामवासियों के होटल और होमस्टे चल सके और ग्रामवासियों को रोजगार मिल सके।
5. पुलना से भ्यूँडार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य त्वरित हो। गोविन्दघाट पुलना मोटर मार्ग का नाम स्व श्री नन्दा सिंह चौहान के नाम से हो। स्व श्री नन्दा सिंह चौहान हेमकुण्ड साहिब के प्रथम मुख्य ग्रंथी थे।
6. पुलना व भ्यूँडार ग्राम में बाढ़ सुरक्षा दीवार बनायी जाये।
7. प्रत्येक परिवार को जिनका होटल घाघरिया में नहीं है, उनको काजिला में प्रत्येक परिवार को 3 नाली जमीन दी जाये। क्योंकि 2013 की बाढ़ से हमारे दोनो गांव कि भूमि तथा मकान पूरी तरह नष्ट हो गये थे। तथा हम सभी ग्रामवासी जोशीमठ में refugee camp में रहे।
8. कार्य में ग्रामवासियों को प्राथमिकता दी जाये।
9. रोपवे का नाम लोकपाल हेमकुण्ड होना चाहिये।
10. परियोजना कार्य को समय पर पूर्ण कराने व क्षेत्र प्रभावित कृषकों को शीघ्र अति शीघ्र एक समान मुआवजा देने की व्यवस्था की जाए।
11. रोजगार में प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाये।
12. परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जायेगी, रोजगार विहित हो जायेंगे। प्रभावित परिवार के सदस्यों को योग्यता के अनुसार रोपवे में रोजगार दिया जाये। सरकार हम स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करे, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दे।
13. अगर सरकार प्रभावितों को जमीन के बदले जमीन देती है तो उन्हें जमीन ऐसी जगह पर दें जहाँ बुनायादी सुविधाये उपलब्ध हो, स्थानीय लोगों ने अपने जीवन की सारी कमाई यहाँ लगा दी है, अतः सरकार उनके हितों कि सुरक्षा करे।
14. परियोजना से स्थानीय रोजगार चौपट हो जायेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जाये।
15. मकान के बदले मकान दिया जाये जो NH की मुख्य सड़क के समीप हो।
16. प्रभावित परिवारों को कार्यक्षेत्र में दुकान/होटल/व्यवसाय/पार्किंग इत्यादि में वरियता दी जाये।
17. जहाँ रोपवे शुरू होगा वहाँ पर रोजगार के लिये दुकान दी जाये।
18. परियोजना प्रभावितों का मानना था कि उनके प्राकृतिक संसाधनों जैसे-जल, जंगल, जमीन, वायु व सड़क पर इस परियोजना का बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे स्थानीय स्तर पर पारिस्थितिकीय सन्तुलन बिगड़ेगा और उसका प्रभाव वहाँ के आम जन जीवन पर पड़ सकता है।
19. ग्रामीणों द्वारा बातचीत के दौरान बताया गया कि इस परियोजना के कारण उनके भू-जलस्त्रोत समाप्त हो सकते हैं। जिसके विषय में जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि इस परियोजना कार्य के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर नवीनतम तकनीक के द्वारा निर्माण किया जाएगा और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

20. समाघात परीक्षण के दौरान प्रभावितों की आशंका थी कि उन पर निजी स्तर पर भी प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत उनकी भूमि आने से भविष्य में उनकी जमीनों के दाम बढ़ेंगे जिनसे भूमि की खरीद फरोख्त की समस्या पैदा हो सकती है।
21. समाघात परीक्षण के दौरान लोगों का मानना था कि परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में जब परियोजना का निर्माण चरण शुरू होगा तो इससे उनके प्राकृतिक जलस्त्रोत, पेयजल की लाइनें, सड़कें, मोटर मार्ग, सिंचाई के साधन इत्यादि चीजें प्रभावित होंगी। जिससे स्थानीय स्तर पर समस्याएँ पैदा हो सकती हैं।
22. परियोजना प्रभावित कुछ लोगों का मानना है कि परियोजना निर्माण से एक तरफ जहाँ एक तरफ विकास होगा वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है, क्योंकि परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निकलने वाले धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर का उचित जंपिंग जोन न बनने पर वहाँ का वातावरण खराब हो सकता है। इससे स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। जिससे बच्चों, वृद्धों, महिलाओं एवं शारीरिक एवं मानसिक रूप से बीमार लोगों के जीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और लोगों के अनिश्चित तनाव में वृद्धि होने से सामाजिक बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
23. कुछ प्रभावितों की आशंका थी कि परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात् यहाँ पर प्रवासी कार्य शक्ति के आने से स्थानीय लोगों के रोजगार पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों की आवाजाही बढ़ जायेगी जिससे स्थानीय लोगों के रोजगार पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।
24. ग्रामीण अपनी सम्पदा एवं संसाधनों का अधिकतम बाजार दर पर मुआवजा चाहते हैं ताकि उन्हें भविष्य में परेशानियाँ न उठानी पड़े।
25. अधिग्रहण के उपरान्त जो थोड़ी सी भूमि शेष बच रही है उसे पूर्ण रूप से अधिग्रहित किया जाए क्योंकि वह भूमि कृषि योग्य नहीं रहेगी।

परियोजना प्रभावित क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित निम्न सिफारिशें

जिला चमोली के गोविन्दघाट से हैमकुण्ड साहिब तक रोपवे परियोजना की वजह से तहसील- जोशीमठ के 03 गाँव पान्डुकेश्वर, पुलना व भूँडार का सामाजिक समाघात मूल्यांकन के विश्लेषण के आधार पर परियोजना प्रभावित क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की गयी हैं—

1. प्रभावितों के समक्ष आने वाली समस्या के आधार पर प्रशासन को कहा जा सकता है कि जिन भी प्रभावित लोगों की आजीविका का मुख्य साधन खेती-बाड़ी थी उनकी भूमि अधिग्रहण करने पर उनकी परियोजना में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाये एवं उनको उनकी भूमि का भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कि धारा 04 के साथ भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में मुआवजा दिया जाना चाहिये एवं परियोजना के निर्माण के पश्चात् उनको परियोजना से सम्बन्धित गतिविधियों में शामिल करके उनके लिए रोजगार की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
2. परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने की स्थिति में निर्माण के दौरान तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उनका अधिक से अधिक उपयोग करके स्थानीय स्तर पर वहाँ के स्थानीय संसाधनों जल, जंगल, जमीन, वायु को सुरक्षित करने की कोशिशें की जानी चाहिये।
3. समाघात परीक्षण के दौरान कुछ लोगों की आशंका थी, कि परियोजना के निर्माण होने के पश्चात् परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में आवाजाही बढ़ जायेगी जिससे वहाँ पर सुविधाओं का विकास होगा और क्षेत्र की महत्ता बढ़ जाने से इन क्षेत्रों में जमीनों के दाम बढ़ जायेंगे, इसलिए यहाँ पर जमीन की

खरीद-फरोक्त हो सकती है। इसके लिए प्रशासन को एक उचित तंत्र की व्यवस्था करते हुए कानूनी रूप से इसको रोकने के लिए कानूनी व्यवस्थाओं का प्रावधान करने की आवश्यकता है।

4. परियोजना निर्माण के समय परियोजना क्षेत्र की परिसम्पत्तियों को अधिक नुकसान न पहुँचे, तकनीकी तौर पर इस बात का ध्यान रखना होगा एवं जहाँ पर इन परिसम्पत्तियों को नुकसान पहुँच रहा है, वहाँ पर प्रशासन को सम्बन्धित विभाग के साथ मिलकर हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रभावित लोगों के साथ मिलकर समितियों का गठन किया जाना चाहिए और नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए।
5. परियोजना प्रबन्धन को परियोजना से सम्बन्धित पूर्ण एवं आंशिक रूप से प्रभावित लोगों के हितों का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए इसके लिए प्रशासन एवं परियोजना प्रबन्धन को क्षेत्रीय लोगों की स्थानीय जरूरतों के अनुसार उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक निर्वहन दायित्व (CSR) के अन्तर्गत एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करनी चाहिये।
6. परियोजना के पूर्ण होने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर आवाजाही बढ़ जायेगी जिससे यहाँ पर प्रवासी कार्य शक्तियों का आवागमन होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा हेतु कुछ आवश्यक कदम उठाते हुए कानूनी प्रावधानों का निर्माण करना चाहिए। स्थानीय रोजगार पर स्थानीय लोगों के हितों को वरीयता दी जानी चाहिए।
7. ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य मतों का आयोजन किया जाए, जिससे कि योग्य चिकित्सकों के द्वारा ग्रामीणों के स्वास्थ्य का समय-समय पर परीक्षण हो सके।
8. परियोजना के कारण यदि स्थानीय जल स्रोत सूख जाये या उनको कोई नुकसान पहुँचे या जल स्रोतों का पानी प्रदूषित हो जाये तो परियोजना का यह उत्तरदायित्व है कि प्रभावित ग्राम के परिवारों को नियमित रूप से पीने के लिए स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाए।
9. महिलाओं को अर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में जहाँ एक ओर उनको जागरूक करने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर उनको स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। ऐसे स्वयं सहायता समूहों को परियोजना द्वारा प्रारम्भिक स्तर पर आर्थिक मदद प्रदान की जाए तथा महिलाओं को इस प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में प्रयास किये जाए जिससे कि वे भविष्य में आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।
10. परियोजना द्वारा योग्यता के आधार पर स्थानीय प्रभावित परिवारों को अस्थाई/स्वरोजगार प्रदान करने की दिशा में सार्थक प्रयास करने चाहिए। इसमें सबसे पहले उन युवकों को प्राथमिकता दी जाय जो की सबसे अधिक प्रभावित हैं। दूसरे स्तर में उन युवकों को प्राथमिकता दी जाय जो उन प्रभावित ग्रामों के रहने वाले हैं तथा अन्तिम स्तर में उन युवकों को प्राथमिकता दी जाय जो प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तथा परियोजना के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं।
11. परियोजना में अनेक ऐसे कार्य होते हैं जिनको ठेके पर कराया जाता है। अतः इन कार्यों को प्रभावित ग्रामों के परिवारों द्वारा ही प्राथमिकता के आधार पर कराया जा सकता है।
12. महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, स्वयं सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों तथा स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के द्वारा खेलकूद एवं संस्कृति के संरक्षण की दिशा में किये जा रहे प्रयासों को सशक्त करने के लिए परियोजना द्वारा उनको सहायता प्रदान की जाए।
13. जल उत्पादन, जैव विविधता का संरक्षण करने वाले विशेषज्ञों, स्वयं सेवी संगठनों, पंचायतों, संस्थानों आदि को समय-समय पर आमंत्रित किया जाए तथा उनके प्रयासों को जनता तक पहुँचाने की दिशा में समय-समय पर गोष्ठी आयोजित कराई जाए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं एवं व्यक्तियों को चिन्हित कर सम्मानित किये जाने की दिशा में प्रयास करने चाहिए।

14. परियोजना के कार्य से जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ सकता है जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। अतः पर्यावरण प्रबन्धन की दिशा में परियोजना के द्वारा विषय विशेषज्ञों की मदद से ठोस योजना बनाकर उसको लागू करने की दिशा में कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
15. परियोजना प्रभावित क्षेत्र में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जाए जिससे कि प्रभावित परिवारों की शिकायतों का निराकरण समय से किया जा सके। तकनीकी विशेषज्ञों से इस सम्बन्ध में विशेष राय ली जाए।

प्रशासन एवं स्थानीय जनता के बीच सार्थक-संवाद स्थापित किया जाना चाहिए जिससे परियोजना से होने वाले नुकसान एवं लाभ पर दोनों पक्षों में खुलकर पारदर्शितापूर्ण ढंग से बात हो और साथ ही प्रभावितों को पूर्ण सुरक्षा, रोजगार, अन्य हित लाभ, उचित मुआवजा, विस्थापन की दशा में उचित भूमि, जल, जंगल, प्राकृतिक वातावरण आदि सुविधाएँ दी जाएँ एवं सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्र का ध्यान रखा जाए और जिन लोगों के मन में आशंकाएँ हैं उनकी आशंकाओं को दूर किया जाना चाहिए।

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है। भूमि से संबंधित रेखांकन कलेक्टर और उप जिलाधिकारी, ज्योतिर्मठ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। समुचित सरकार, उचित अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट उप जिलाधिकारी के निर्देशन में सक्षम व्यक्ति को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमूदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

प्रारम्भिक अधिसूचना हेतु अनुसूची

प्राकृप-II

गोविन्दघाट से हेमकुण्ड साहिब तक रोपवे परियोजना उपयोगार्थ भूमि के अधिग्रहित हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम - 2013 की धारा- 11 में निहित प्राविधानों के अनुसार

ग्राम पाण्डुकेश्वर (गोविन्दघाट)

क्र०सं०	टावर नम्बर / स्थान	खाता संख्या	सर्वेक्षण खसरा संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	खसरे का क्षेत्रफल (हे०)	पूर्व में अर्जन अधीन प्रस्तावित खसरे	हितवद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमाएं	वृक्ष	विवरण
---------	--------------------	-------------	-----------------------	---------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------------	--------	-------	-------

					का क्षेत्र (है०)	क्षेत्रफल (है०)		उ०	द०	पू०	प०	वन	फल	प्रकार	
1	T1	59	1885	निजी	कृषि	0.036	-	0.018	नरेन्द्र सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1875	1882	1884	1886		-
2	T1	146	1880	निजी	कृषि	0.059	-	0.059	सुमेर सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1879	1881	1926	1883		-
3	T1	146	1881	निजी	कृषि	0.074	-	0.074	सुमेर सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1880	1923	1926	1882		-
4	T1	59	1882	निजी	कृषि	0.036	-	0.036	सुमेर सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1885	1887	1881	1887		-
5	T1	59	1883	निजी	कृषि	0.119	-	0.040	नरेन्द्र सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1875	1880	1879	1884		-
6	T1	59	1884	निजी	कृषि	0.043	-	0.040	नरेन्द्र सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1883	1882	1883	1885		-
7	T1	59	1886	निजी	कृषि	0.014	-	0.008	नरेन्द्र सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1895	1882	1885	1887		-
8	T1	59	1892	निजी	कृषि	0.078	-	0.060	नरेन्द्र सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1890	1893	1887	1894		-
9	T1	59	1893	निजी	कृषि	0.011	-	0.011	नरेन्द्र सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1892	1920	1923	1894		-
10	T1	98	1895	निजी	कृषि	0.015	-	0.015	मंजित सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1894	1896	1894	1870		-
11	T1	98	1896	निजी	कृषि	0.025	-	0.025	मंजित सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1895	1897	1894	1870		-
12	T1	98	1897	निजी	कृषि	0.029	-	0.029	मंजित सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1896	1898	1894	1870		-
13	T1	98	1898	निजी	कृषि	0.058	-	0.058	मंजित सिंह आदि	1897	1899	1894	1870		-

14	T1	98	1899	निजी	कृषि	0.05	—	0.04	ग्राम पाण्डुकेश्वर	1898	1900	1894	1870	—
15	T1	98	1900	निजी	कृषि	0.023	—	0.018	मंजित सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1899	1901, 1918	1894	1870	—
16	T1	147	1919	निजी	कृषि	0.005	—	0.005	सुमेर सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1900	1918	1894	1918	—
17	T1	147	1918	निजी	कृषि	0.003	—	0.003	सुमेर सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1919	1917	194	1901	—
18	T1	59	1924	निजी	कृषि	0.029	—	0.029	नरेन्द्र सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1926	1923	1926	1923	—
19	T1	59	1925	निजी	कृषि	0.028	—	0.028	नरेन्द्र सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1926	1923	1926	1923	—
20	T1	146	1940	निजी	कृषि	0.045	—	0.045	सुमेर सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1939	1976	1939	1941	—
21	T1	146	1939	निजी	कृषि	0.019	—	0.019	सुमेर सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1938	1976	1938	1940	—
22	T1	146	1941	निजी	कृषि	0.021	—	0.021	सुमेर सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1942	1973	1940	1942, 1973	—
23	T1	144	1942	निजी	कृषि	0.090	—	0.090	सर्वेश आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1932	1973	1941	1943	—
24	T1	59	1943	निजी	कृषि	0.020	—	0.020	नरेन्द्र सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1942	1942	1942	1944	—
25	T1	59	1944	निजी	कृषि	0.049	—	0.049	नरेन्द्र सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1932	1973	1943	1945, 1948	—
26	T1	59	1945	निजी	कृषि	0.040	—	0.040	नरेन्द्र सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1932	1944	1944	1946, 1968	—
27	T1	101	1946	निजी	कृषि	0.023	—	0.023	यशवन्त सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1932	1945	1945	1919	—
28	T1	101	1947	निजी	कृषि	0.095	—	0.095	यशवन्त सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1932	1968, 1967	1946	1948	—

29	T1	13	1948	निजी	कृषि	0.035	—	0.035	कुन्दन सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1947	1949	1947	1932				—
30	T1	13	1949	निजी	कृषि	0.040	—	0.040	कुन्दन सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1948	1950	1948	1950				—
31	T1		1968				—	0.016	रिक्त								वर्तमान खतौनी में डेटा उपलब्ध नहीं है।
32	T1	144	1970	निजी	कृषि	0.028	—	0.018	सर्वश आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1968	1976	1944, 1971	1969				—
33	T1	59	1971	निजी	कृषि	0.033	—	0.033	नरेन्द्र सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1970	1976	1972	1970				—
34	T1	144	1972	निजी	कृषि	0.020	—	0.020	सर्वश आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1973	1976	1973	1971				—
35	T1	84	1973	निजी	कृषि	0.108	—	0.108	भागवत सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1942	1995, 1994	1997	1972				—
36	T1	84	1974	निजी	कृषि	0.025	—	0.025	भागवत सिंह आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1976	1976	1976	1975				—
37	T1	144	1975	निजी	कृषि	0.038	—	0.038	सर्वश आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1973	1976	1974	1976				—
38	T1	144	1977	निजी	कृषि	0.018	—	0.018	सर्वश आदि ग्राम पाण्डुकेश्वर	1941	1976	1940	1973				—
39	T1	108	1976	उत्तराखण्ड सरकार	भीटा	0.820	—	0.023	उत्तराखण्ड सरकार भीटा	1975, 1974	1987	1979	1957, 1958, 1959				—
40	T1	93	1932	उत्तराखण्ड सरकार	बंजर	0.294	—	0.064	उत्तराखण्ड सरकार बंजर	1931	1946, 1945 1944, 1943, 1947	1931	1920				—
41	T1	93	1920	उत्तराखण्ड सरकार	बंजर	0.525	—	0.365	उत्तराखण्ड सरकार बंजर	1923	1922	1932	1920				—

42	T1	93	1894	उत्तराखण्ड सरकार	बंजर	0.120	-	0.095	उत्तराखण्ड सरकार	बंजर	1892	1895, 1896, 1897, 1898	1892, 1893	1870	-	-
43	T1	93	1926	उत्तराखण्ड सरकार	बंजर	0.580	-	0.090	उत्तराखण्ड सरकार	बंजर	1879	1929	1927, 1928	1880, 1881	-	-
44	T1	-	-	-	-	-	-	-	वन विभागान्तर्गत	-	-	-	-	-	वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित	-
45	T1	-	-	-	-	-	-	-	वन विभागान्तर्गत	-	-	-	-	-	वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित	-
46	T1	-	-	-	-	-	-	-	वन विभागान्तर्गत	-	-	-	-	-	वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित	-
योग ग्राम पाण्डुकेश्वर-			43	-	-	3.821	-	1.986								
ग्राम-पुलना																
1	T1	5	308	निजी	कृषि	0.008	-	0.008	गोविन्द सिंह आदि	ग्राम पुलना	307	309	274	310	-	-
2	T1	5	309	निजी	कृषि	0.010	-	0.010	गोविन्द सिंह आदि	ग्राम पुलना	308	312	274	310	-	-
3	T1	19	310	निजी	कृषि	0.131	-	0.023	भगत सिंह आदि	ग्राम पुलना	307	306	308, 309, 312, 311	306	-	-

4	T1	-			0.000	-	0.000	वन विभागान्तर्गत							वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित
5	T1	-			0.000	-	0.000	वन विभागान्तर्गत							वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित
6	T1	-			0.000	-	0.000	वन विभागान्तर्गत							वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित
7	T1	46	129	उत्तराखण्ड सरकार	गौचर	3.776	-	0.023	उत्तराखण्ड सरकार गौचर	129	117, 128	129	129		-
8	T1	52	40	उत्तराखण्ड सरकार	रास्ता	0.774	-	0.023	उत्तराखण्ड सरकार रास्ता	वन विभाग मु०न० 9	47	39	41		-
9	T1	-				0.000	-	0.000	वन विभागान्तर्गत						वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित
10	T1	-				0.000	-	0.000	वन विभागान्तर्गत						वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित
11	T1	-				0.000	-	0.000	वन विभागान्तर्गत						वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित

12	T1	-			0.000	-	0.000	वन विभागान्तर्गत						वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित
13	T1	-			0.000	-	0.000	वन विभागान्तर्गत						वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित
14	T1	-			0.000	-	0.000	वन विभागान्तर्गत						वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित
15	T1	15	535	निजी	कृषि	0.039	-	0.001	पूरुण सिंह आदि ग्राम पुलना (जंगलघट्टी)	534, 533	536, 542	442	559	-
16	T1	15	534	निजी	कृषि	0.021	-	0.006	पूरुण सिंह आदि ग्राम पुलना जंगलघट्टी	533	535	535	559	-
17	T1	15	533	निजी	कृषि	0.031	-	0.006	पूरुण सिंह आदि ग्राम पुलना (जंगलघट्टी)	531	534	532	559	-
18	T1	15	531	निजी	कृषि	0.053	-	0.008	पूरुण सिंह आदि ग्राम पुलना (जंगलघट्टी)	549	533	544	559	-
19	T1	11	545	निजी	कृषि	0.050	-	0.050	देवेन्द्र सिंह आदि ग्राम (पुलना जंगलघट्टी)	553	544	558	555	-
20	T1	6	546	निजी	कृषि	0.009	-	0.009	गोविन्द सिंह आदि ग्राम पुलना(जंगलघट्टी)	545	545	545	547	-

21	T1	2	547	निजी	कृषि	0.010	-	0.010	कृपाल सिंह आदि ग्राम पुलना (जंगलघट्टी)	545	548	546	555	-
22	T1	31	548	निजी	कृषि	0.010	-	0.010	हरेन्द्र सिंह आदि ग्राम (पुलना जंगलघट्टी)	557	531	545	549	-
23	T1	31	549	निजी	कृषि	0.038	-	0.038	हरेन्द्र सिंह आदि ग्राम पुलना (जंगलघट्टी)	551	531	558	550	-
24	T1	31	551	निजी	कृषि	0.013	-	0.011	हरेन्द्र सिंह आदि ग्राम (पुलना जंगलघट्टी)	555	549	558	555	-
25	T1	2	552	निजी	कृषि	0.030	-	0.024	कृपाल सिंह आदि ग्राम पुलना (जंगलघट्टी)	554	551	557	555	-
26	T1	11	553	निजी	कृषि	0.040	-	0.040	देवेन्द्र सिंह आदि ग्राम पुलना (जंगलघट्टी)	554	545	555	554	-
27	T1	2	554	निजी	कृषि	0.038	-	0.035	कृपाल सिंह आदि ग्राम पुलना (जंगलघट्टी)	555	553	555	555	-
28	T1	3	556	निजी	कृषि	0.043	-	0.024	कृपाल सिंह आदि ग्राम पुलना (जंगलघट्टी)	567	557	566, 565	555	-
29	T1	3	557	निजी	कृषि	0.030	-	0.030	कृपाल सिंह आदि ग्राम पुलना (जंगलघट्टी)	556	556, 566	568	555	-
30	T1	2	558	निजी	कृषि	0.015	-	0.015	कृपाल सिंह आदि ग्राम पुलना (जंगलघट्टी)	557	559	561	545	-
31	T1	3	559	निजी	कृषि	0.014	-	0.014	कृपाल सिंह आदि ग्राम पुलना (जंगलघट्टी)	545	560	558	544	-
32	T1	33	562	निजी	कृषि	0.006	-	0.005	हरेन्द्र सिंह आदि ग्राम पुलना जंगलघट्टी	563	567	564	556	-

33	T1	33	563	निजी	कृषि	0.006	—	0.005	हरेन्द्र सिंह आदि ग्राम पुलना जंगलचट्टी	565	562	564	556	—
34	T1	4	565	निजी	कृषि	0.028	—	0.003	गोविन्द सिंह आदि ग्राम पुलना (जंगलचट्टी)	566	564	569	556	—
35	T1-3	57	555	उत्तराखण्ड सरकार	भीटा	0.284	—	0.058	उत्तराखण्ड सरकार भीटा	573	554	556, 557	वन विभाग मु०न० 2	—
36	T1-3	47	573	उत्तराखण्ड सरकार	जंगल	0.778	—	0.067	उत्तराखण्ड सरकार जंगल	वन विभाग मु०न० 2	574	575	वन विभाग मु०न० 2	—
37	T4	—	—	—	—	0.000	—	0.000	वन विभागान्तर्गत	—	—	—	—	वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित
38	T5	—	—	—	—	0.000	—	0.000	वन विभागान्तर्गत	—	—	—	—	वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित
39	T6	—	—	—	—	0.000	—	0.000	वन विभागान्तर्गत	—	—	—	—	वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित
40	T7	—	—	—	—	0.000	—	0.000	वन विभागान्तर्गत	—	—	—	—	वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित

41	T 8	-				0.000	-	0.000	वन विभागान्तर्गत									वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित
42	T 9	-				0.000	-	0.000	वन विभागान्तर्गत									वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित
43	T 10	-				0.000	-	0.000	वन विभागान्तर्गत									वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित
44	T 11	-				0.000	-	0.000	वन विभागान्तर्गत									वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित
45	T 12	-				0.000	-	0.000	वन विभागान्तर्गत									वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित
46	T 13	-				0.000	-	0.000	वन विभागान्तर्गत									वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित
47	T 14	-				0.000	-	0.000	वन विभागान्तर्गत									वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित
48	T 15	-				0.000	-	0.000	वन विभागान्तर्गत									वन विभाग फूलों की घाटी रेंज अंतर्गत स्थित

49	T 16	13	252	उत्तराखण्ड सरकार	बजर	0.311	-	0.023	उत्तराखण्ड सरकार बजर	249	वन विभाग मु० न० 7	253	246	-
	योग ग्राम - पुलना	28				6.596		0.579						
ग्राम-भूँडार														
1	T 17	34	235	निजी कृषि		0.025	-	0.004	संजय सिंह आदि ग्राम भूँडार	234	236	228	237	-
2	T 17	18	235m	सडक भवन सा०नि०वि०	रास्ता	0.028	-	0.019	सडक भवन सा०नि०वि०	234	235 म०	260	237	-
3	ITP 2 station	20	223	निजी कृषि		0.041	-	0.013	बल्लभ सिंह आदि ग्राम भूँडार	222	224	224	244	-
4	ITP 2 station	20	224	निजी कृषि		0.049	-	0.045	बल्लभ सिंह आदि ग्राम भूँडार	223	225	217	244	-
5	ITP 2 station	20	225	निजी कृषि		0.046	-	0.042	बल्लभ सिंह आदि ग्राम भूँडार	224	227, 226	217	244	-
6	ITP 2 station	20	226	निजी कृषि		0.011	-	0.011	बल्लभ सिंह आदि ग्राम भूँडार	225	228	227	228	-
7	ITP 2 station	35	228	निजी कृषि		0.020	-	0.020	बल्लभ सिंह आदि ग्राम भूँडार	226	228 म०	260	233	-
8	ITP 2 station	18	228m	सडक भवन सा०नि०वि०		0.013	-	0.013	सडक भवन सा०नि०वि०	228 म०	260	260	235	-

